आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890600

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, लखनऊ, हरदोई, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, मऊ, फिरोजाबाद, औरैया तथा सम्भल।

संख्याः **1/शा0/65/2014–1/197/2014** लखनऊः दिनांक 29 **अगस्त, 2014**

विषयः **बहुउददेशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रू0–622.49 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0–622.485 लाख का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1872/33–3–2014–100(19)/2014 दिनांक 28 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में बहुउददेशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) में अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) में प्राविधानित **धनराशि रू0–622.49 लाख के सापेक्ष रू0–622.485 लाख (रूपया छः करोड़ बाइस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वर्ष 2014–15 में योजना के लिए नियोजन विभाग द्वारा आवंटित जनपदवार परिव्यय (एस0सी0एस0पी0) की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2014–15 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2467/दस–2014–231/2014 दिनांक 22.07.2014 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर ग्राम पंचायत स्तर पर गठित निर्माण कार्य समिति के माध्यम से निर्माण कार्य कराकर व्यय किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या– 83 (आयोजनागत) लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–बहुउददेशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)–24–बृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।

6— आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा—निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

8— प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

9— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

11— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2014—15 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04—03—2015 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—68 पर अंकित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

भवदीय,

25.8.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/65/1/2014 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5— सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7— सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8— उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

डाला जाय

PB(Districts yojna)-83 Allotment

पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

संख्या– 1/शा0/ 65 /2014–1/197/2014 लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 2014 का संलग्नक

वर्ष 2014–15 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2014–15 में बहुउददेशीय पंचायत भवनों की संख्या व आवंटित की जा रही धनराशि	
		लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	प्रति पंचायत भवन लागत रू0–7.155 लाख
1	2	3	4
1	अलीगढ़	3	21.465
2	मथुरा	2	14.310
3	आगरा	3	21.465
4	मैनपुरी	1	7.155
5	बरेली	14	100.170
6	बिजनौर	3	21.465
7	मुरादाबाद	4	28.620
8	शाहजहांपुर	5	35.775
9	रामपुर	2	14.310
10	इटावा	1	7.155
11	फतेहपुर	3	21.465
12	इलाहाबाद	2	14.310
13	वाराणसी	1	7.155
14	गाजीपुर	2	14.310
15	बलिया	4	28.620
16	देवरिया	12	85.860
17	लखनऊ	3	21.465
18	हरदोई	2	14.310
19	फैजाबाद	2	14.310
20	गोण्डा	7	50.085
21	प्रतापगढ़	4	28.620
22	कानपुर देहात	2	14.310
23	मऊ	1	7.155
24	फिरोजाबाद	1	7.155
25	औरैया	1	7.155
26	सम्भल	2	14.310
	योग–	**87**	**622.485**

(रूपया छः करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र)

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-29/08/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-65-2014-1-197-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 001-197-2014

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2146500 2146500	2146500 2146500
2	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
3	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2146500 2146500	2146500 2146500
4	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
5	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10017000 10017000	10017000 10017000
6	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2146500 2146500	2146500 2146500
7	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2862000 2862000	2862000 2862000
8	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3577500 3577500	3577500 3577500
9	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
10	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
11	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2146500 2146500	2146500 2146500
12	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000

13	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
14	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
15	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2862000 2862000	2862000 2862000
16	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	8586000 8586000	8586000 8586000
17	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2146500 2146500	2146500 2146500
18	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
19	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
20	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5008500 5008500	5008500 5008500
21	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2862000 2862000	2862000 2862000
22	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
23	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
24	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
25	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715500 715500	715500 715500
26	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1431000 1431000	1431000 1431000
	योग	वर्तमान प्रगामी	62248500 62248500	62248500 62248500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ बाइस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः करोड़ बाइस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ

(शहजाद अहमद अंसारी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

9c